

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/985

दिनांक :- 2-11-2023

कार्यालय आदेश

आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.11 (02)ग्रावि/नरेगा/संस्था/नोटिस/2017/पार्ट-2-00030/2856 जयपुर, दिनांक 12.10.2023 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 23333), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को निलम्बित किये गये आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाती हैं।

निलम्बन काल में श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर रहेगा।

श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/985

दिनांक :- 2-11-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर।
- 3 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 4 संबंधित कोषाधिकारी.....
- 5 श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 23333) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे निलम्बन काल में उन्हें आवंटित मुख्यालय पर तत्काल कार्यग्रहण कर सूचना फ़ैक्स के अथवा विभागीय ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
- 6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)